ऑन लाईन नं. RCMS 2022/90

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 09/2022

1. सरजीत सिंह पुत्र मंग सिह जाति कुम्हार निवासी चक सोहनेवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. गिठू सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह जाति कुम्हार निवासी चक सोहनेवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. ग्रांम पंचायत खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खाटसजवार।
3. ग्राम पंचायत तख्तहजारा बावरियान तहसील सादुलशहर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत तख्तहजारा बावरियान।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधि० विरूद्ध पटटा दिनांक 23.08.87 पूर्व ग्राम पंचायत खाटसजवार वर्तमान पंचायत तख्तहजारा बावरियान जिसकी रूह से गांव सोहनेवाला तह० सादुलशहर के निगरानीकर्ता के मकान डी–18 के उत्तर की तरफ 25 फीट लम्बाई जो कि सडक आम के साथ व निगरानीकर्ता के उपरोक्त अहाता के बीच में स्थित का पटटा अप्रार्थी सं० 1 के नाम जारी करते हुए 25 फीट लम्बाई के स्थान पर 35 गुणा 50 फीट का पटटा गलत तौर से व यकतरफा तौर से अप्रार्थी सं० 1 के नाम जारी किया गया को निरस्त किया जावे।

उपस्थित :

1. श्री मनोहर लाल सहारण अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री दिनेश छाबड़ा अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या –1
3. श्री उदयपाल बिश्नोई अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता –2,3

:: आदेश ::

दिनांक: 04.02.2026

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि निगरानीकर्ता गांव सोहनेवाला तह० सादुलशहर का स्थायी निवासी है तथा उसके नाम से तत्कालीन ग्राम पंचायत खाटसजवार द्वारा भूखण्ड सं० डी–18 का पटटा दिनांक 23.08.86 को निगरानीकर्ता के नाम से जारी किया गया जिसकी पुश्त पर डी–18 की पैमाइश पूर्व पश्चिम में 75 फीट दर्शायी गई है तथा उत्तर में खाली जगह दिखाई गई है पटटा की नकल शामिल है। यह खाली जगह गली आम व निगरानीकर्ता के अहाता के बीच 25 फीट लम्बाई में थी मगर ग्राम पंचायत खाटसजवार द्वारा अप्रार्थी के नाम गलत व यकतरफा तौर पर पटटा 35 फीट लम्बाई का चुपचाप जारी कर दिया जिसका अनुचित लाभ उठाकर अप्रार्थी सं० 1 अब निगरानीकर्ता के उपरोक्त अहाता की उत्तरी

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

साईड में 10 फीट लम्बाई में नाजायज कब्जा करना चाहता है। अतः निगरानीकर्ता के लिए यह निगरानी लाना व अप्रार्थी सं० 1 के हक में जारी पटटा दिनांक 23.08.87 को निरस्त करवाना आवश्यक हो गया है वरना मौके पर कभी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, अतः निगरानीकर्ता यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर पेश कर रहा है--

1. यह कि पटटा ग्राम पंचायत खाटसजवार दिनांक 23.08.87 जो कि अप्रार्थी सं० 1 के नाम गांव सोहनेवाला की आबादी का 35 गुणा 50 जारी किया गया है जिसकी नकल शामिल है गलत खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है।
2. यह कि अप्रार्थी के पटटे का अवलोकन किया जावे तो उसको आवंटित अहाता के उत्तर में गली आम दिखाई हुई है तथा दक्षिण में निगरानीकर्ता का प्लाट/मकान डी–18 के स्थान पर ए–31 गलत तौर से दर्ज किया गया है जबकि मौका पर निगरानीकर्ता के भूखण्ड के उत्तर में साथ लगता अप्रार्थी सं० 1 का अहाता गली आम व निगरानीकर्ता के भूखण्ड के बीच की जगह का है जो कि 25 फीट लम्बाई ही बनती है, इस प्रकार 25 फीट लम्बाई के स्थान पर 35 फीट लम्बाई का पटटा ना केवल बिना मौके पर पैमाइश किये बल्कि निगरानीकर्ता को कोई आपति पेश करने का अवसर दिये व बिना बुलाये सुने जारी किया गया है जो कि गलत व यकतरफा होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है।
3. यह कि मौका देखा जा सकता है जिससे स्पष्ट होगा कि निगरानीकर्ता के डी--18 प्लाट के उत्तर में साथ लगता हुआ उत्तर में स्थित गली व निगरानीकर्ता के अहाता के उत्तर दिशा में खाली जगह केवलमात्र 25 फीट लम्बाई की थी, अतः 35 फीट लम्बाई का पटटा स्पष्ट तौर से गलत जारी किया गया है, इसके अलावा पटटा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी के भूखण्ड के दक्षिण में निगरानीकर्ता का भूखण्ड डी–18 लगता है जबकि अप्रार्थी के पटटा में दक्षिण में ए–31 भूखण्ड दर्शाया गया है जिससे भी स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अप्रार्थी सं० 1 के हक में पटटा जारी किया है।
4. यह कि पंचायत नियमों के अनुसार सर्वप्रथम ग्राम पंचायत की मीटिंग होकर प्रस्ताव पास किया जाकर कमेटी का गठन किया जाता है, जिससे मौके की रिपोर्ट मंगवायी जाती है मगर प्रस्तुत मामला में ना तो कोई ग्राम पंचायत की कोई मीटिंग हुई, ना ही कोई कमेटी का गठन किया गया, ना ही मौके पर कोई पैमाइश की गई, ना ही कमेटी की कोई रिपोर्ट सामने आयी, ना ही कोई आपति सूचना जारी की गई, ना ही किसी समाचार पत्र में प्रकाशित करवायी गई, ना ही प्रभावित व्यक्ति निगरानीकर्ता को कोई नोटिस दिया गया, ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया। अतः पटटा बहक अप्रार्थी सं० 1 गलत जारी होने से अब मौके पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई है, तथा अप्रार्थी सं० 1 निगरानीकर्ता के पटटाशुदा भूखण्ड/मकान की उतरी जगह में 10 फीट लम्बाई में नाजायज कब्जा करना चाहता है। अतः पटटा को निरस्त करवाया

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

जाना न्यायहित में आवश्यक है जिससे किसी प्रकार से कोई विवाद पैदा ना हो सकें।

5. यह कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा कोई विधिक प्रक्रिया अपनायी गई होती व निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो किसी प्रकार से अप्रार्थी सं० 1 के हक में 35 गुणा 50 फीट का पटटा कतई जारी नहीं किया जा सकता था क्योकि वास्तव में यह खांचा भूमि थी जिसकी लम्बाई 25 फीट व चौडाई 50 फीट थी तथा निगरानीकर्ता के अहाता के साथ लगता हुआ होने से वह खांचा भूमि के रूप में आवंटन करवाने अथवा पटटा जारी करवाने का अधिकारी था क्योकि यह भूमि निगरानीकर्ता के भूखण्ड व उत्तर में स्थित गली के बीच की खांचा भूमि थी जिसको मिलीभगत कर केवलमात्र 100 रूपया में नीलामी का दिखलाकर गलत पटटा जारी किया गया है। इस प्रकार पंचायत कोष को भी हानि पहुंचायी गई है जिसके लिए तत्कालीन सरपंच के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करना भी जरूरी हो जाता है।
6. यह कि जब निगरानीकर्ता के अहाता न० डी–18 के उत्तर में व गली आम के बीच केवलमात्र 25 फीट चौडाई की खांचा भूमि थी तो इससे अधिक का पटटा कानूनन भी जारी नहीं किया जा सकता था, अतः तत्कालीन सरपंच द्वारा मनमानी करना व मिलीभगत कर पटटा जारी करना स्पष्ट हो जाता है।
7. यह कि निगरानी काबिल समाअत अदालतवाला है तथा अप्रार्थी द्वारा कुछ समय पूर्व प्रार्थी के मलकीति भूखण्ड डी–18 के उतरी हिस्सा में 10 फीट लम्बाई में नाजायज कब्जा करने का प्रयास करने पर निगरानी पेश करना आवश्यक हो गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निगरानी के लिए कोई मियाद निहित नहीं है तथा माननीय न्यायालय किसी भी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर अथवा न्यायालय के समक्ष सही स्थिति लाने पर सोमोटिव भी पटटा का रिकार्ड मंगवाकर पटटा की वैधता के बारे में जांच कर सकती है, अतः यदि किसी कारणवश निगरानीकर्ता की निगरानी को निगरानी के रूप में स्वीकार ना किया जा सकता हो तो प्रार्थना पत्र के रूप में मानकर पंचायत का रिकार्ड मंगवाकर अप्रार्थी सं० 1 के हक में जारी पटटा को निरस्त किया जा सकता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

लिहाजा निगरानी पेश करके अर्जा है कि अप्रार्थी सं० 1 के हक में जारी पटटा दिनांक 23.08.87 का रिकार्ड मंगवाकर वैधता की जांच कर पटटा को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि:–

1. यह कि प्रार्थी द्वारा एक निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के अन्तर्गत पट्टा दिनांक 23.08.1987 पूर्व ग्राम पंचायत खाटसजावार वर्तमान पंचायत तख्तहजारा बावरियान के द्वारा गांव सोहनेवाला तहसील सादुलशहर के निगरानीकर्ता के मकान डी–18 के उत्तर की तरफ 25 फीट लम्बाई जो कि सड़क आम के साथ व निगरानीकर्ता के उपरोक्त अहाता के

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

बीच में स्थित का पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी करते हुए 25 फीट लम्बाई के स्थान पर 35 गुणा 50 फीट का पट्टा गलत तौर रो व यकतरफा तौर से अप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी किया गया है, को निरस्त किया जावे।

2. यह कि ग्राम पंचायत खाटसजवार द्वारा भूखण्ड डी 18 का पट्टा दिनांक 23.08.86 को निगरानीकर्ता के नाम से जारी किया गया है जिसकी पुश्त पर डी–18 की पैमाईश पूर्व पश्चिम में 75 फीट दर्शायी गई है तथा उत्तर में खाली जगह दर्शायी गई है यह खाली जगह गली आम व निगरानीकर्ता के अहाता के बीच 25 फीट लम्बाई में थी मगर ग्राम पंचायत खाटसजवार द्वारा अप्रार्थी के नाम गलत व यकतरफा तौर पर पट्टा 35 फीट लम्बाई का चुपचाप जारी कर दिया जिसका अनुचित लाभ उठाकर अप्रार्थी संख्या 01 अब निगरानीकर्ता के उपरोक्त अहाता की उत्तरी साईज में 10 फीट लम्बाई में नाजायज कब्जा करना चाहता है। इसलिये उक्त जारीशुदा पट्टा निरस्त किया जावे।

3. यह कि अब मौका पर निगरानीकर्ता के भूखण्ड के उत्तर में साथ लगता अप्रार्थी संख्य 01 का अहाता गली आम व निगरानीकर्ता के भूखण्ड के बीच की जगह का है जो कि 25 फीट लम्बाई ही बनती है, इस प्रकार 25 फीट लम्बाई के स्थान पर 35 फीट लम्बाई का पट्टा ना केवल बिना मौके पर पैमाईश किये बल्कि निगरानीकर्ता को कोई आपत्ति पेश करने का अवसर दिये व बिना बुलाये सुने जारी किया गया है, जो कि गलत व एकतरफा होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है।

4. यह कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के नियमो के अन्तर्गत नियम 143 भूखण्डो को नीलाम करने के लिये लिस्ट तैयार की जाती है और नियम 145 के अन्तर्गत क्रय करने के लिये आवेदन लिये जाते हैं और नियम 148 के तहत एक माह नोटिस जारी किया जाता हैं और अखबार में प्रकाशित करवया जाता है। उक्त प्रकरण में ना तो नोटिस जारी किया गया और ना ही अखबार में प्रकाशित करवाया गया और ना ही मोका रिपोर्ट तैयार करवायी गई। नीलामी के लिये नियम 151 के तहत नीलामी समिति गठित की जाती हैं और जो बाजार कीमत को ध्यान मे रखकर नीलामी करवाती हैं। यदि उक्त प्रकरण में कोई भी समिति गठित नही की गई और ना ही बाजार मूल्य का ध्यान रखा गया और ना ही विक्रय की पुष्टि की गयी।

5. यह कि इस प्रकार से ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए विधि विरुद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से पट्टा जारी किया गया है और 25 फुट लम्बाई के स्थान पर 35 फुट की लम्बाई का पट्टा जारी किया गया है, को निरस्त किया जावे।

6. यह कि अप्राथीगण द्वारा अप्रेल 2024 में प्रार्थी के पट्टाशुदा जगह में कब्जा करने की कोशिश की तो प्रार्थी को पता चला कि अप्रार्थी ने एक तरफा तौर पर गलत रूप से चुपचाप पट्टा जारी करवा लिया है, तो प्रार्थी द्वारा बिना किसी देरी के निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी पट्टा दिनांक 23.08.87 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 की ओर से लिखित बहस निम्नानुसार प्रस्तुत की गई।

1. यह कि निगराकार की ओर से उक्त अनवान की निगरानी माननीय न्यायालय में धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पट्टा दिनांक 23.08.1987 के विरूद्ध दिनांक 04.04.2022 को अर्सा 35 साल उपरान्त बिना किसी समुचित एवं संतोषजनक कारण के प्रस्तुत की है।
2. यहकि निगराकार की ओर से अपनी निगरानी में यह अंकित किया है कि निगराकार के नाम से ग्राम पंचायत खाटसजवार में भूखण्ड संख्या डी–18 है जिसका पट्टा दिनांक 23.08.1986 को जारी हुआ है जिसमें पैमाईश पूर्व पश्चिम में 75 फीट दर्शायी है एवं उत्तर में खाली जगह दिखाई है। इस खाली जगह को निगरानीकर्ता के द्वारा गली आम होना कथन किया है एवं यह कथन किया कि ग्राम पंचायत खाट सजवार के द्वारा अनावेदक संख्या 1 के नाम से गलत तौर पर पट्टा 35 फीट लम्बाई का जारी कर दिया जिसका लाभ उठाकर अनावेदक संख्या 1, निगरानीकर्ता के अहाता की उत्तरी साईड में 10 फीट लम्बाई में नाजायज कब्जा करना चाहता है इसलिये निगरानी के माध्यम से पट्टा दिनांक 23.08.87 को निरस्त करवाना चाहता है। निगरानी के आधार में अनावेदक संख्या 1 के पक्ष में पट्टा दिनांक 23.08.1987 साईज 35 गुणा 50 फीट गलत जारी करना कथन किया एवं अपने पट्टा के उत्तर में गली आम होना कथन किया। बिना पैमाईश पट्टा जारी करना कथन किया एवं निगरानीकर्ता को कोई सुनवाई का अवसर ना देना कथन किया। निगरानी की मद संख्या 5 में इस तथ्य को स्वीकार किया कि वास्तव में यह खांचा भूमि थी जिसकी लम्बाई 25 फीट व चौडाई 50 फीट थी एवं निगरानीकर्ता के भूखण्ड के साथ लगती होने के कारण वह इसे आवंटन करवाने व पट्टा जारी करवाने का अधिकारी था इस मद में यह भी स्वीकार किया कि निगरानीकर्ता के भूखण्ड एवं गली आम के मध्य की यह खांचा भूमि थी। मद संख्या 6 में अपने भूखण्ड एवं गली आम के मध्य 25 फीट चौडाई की खांचा भूमि होना कथन किया लेकिन पट्टा 35 फीट का जारी करना कथन किया एवं यह भी कथन किया कि 25 फीट से ज्यादा का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था। निगरानी की चरण संख्या 8 में बिना कोई दिनांक अंकित किये कि कब कब्जा करने का प्रयास किया, यह कथन अंकित किया कि अनावेदक कुछ समय पूर्व निगरानीकर्ता के भूखण्ड डी–18 के उत्तरी हिस्सा में 10 फीट लम्बाई में कब्जा करने का प्रयास करने लगा तो निगरानी पेश करना आवश्यक हो गया। अनुतोष में पट्टा का रिकॉर्ड मंगवाकर पट्टा निरस्त करने का कथन किया है।
3. यहकि यह सिद्धान्त बाखूबी प्रतिपादित है कि पंचायत एक्ट के तहत निगरानी कानूनी बिन्दु पर होती है इसलिये निगरानीकर्ता को अपनी निगरानी में इस तथ्य को अंकित कर प्रमाणित करना होता है कि निगरानी में कानूनी बिन्दु

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

निहित है एंव अनावेदक संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख दिनांकित 23.08.1987 गलत जारी किया गया है जो कानूनी बिन्दुओं पर विपरीत है।

4. यहकि निगरानी के अभिवचनों के अवलोकन मात्र से यह तथ्य प्रकट है कि निगरानीकर्ता ने अपने भूखण्ड एवं गली आम के मध्य 25 फीट भूमि होना कथन किया है एवं उसे खांचा भूमि का नाम दिया है एवं अनावेदक संख्या 1 के पक्ष में पट्टा 35 फीट भूमि का जारी होना कथन किया है एवं खांचा भूमि को अपने हक में पट्टा जारी करवाने का अधिकारी होना कथन कर निगरानी प्रस्तुत की है अर्थात संक्षेप में निगरानीकर्ता विवादित भूमि को 25 फीट बताकर स्वयं के पक्ष में पट्टा जारी करवाना चाहता है। पट्टा जारी होने से कोई विरोध नहीं है लेकिन स्थान के लालच में स्वयं के पक्ष में पट्टा जारी करवाना चाहता है।

5. यहकि पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से यह बिन्दु भी प्रमाणित है कि निगरानीकर्ता के द्वारा मौजूदा निगरानी प्रस्तुत करने से पूर्व ही एक दीवानी वाद वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सादूलशहर के न्यायालय में अनवानी सरजीत सिंह बनाम गुरचरण सिंह प्रस्तुत किया एवं उक्त दीवानी वाद में अपने मकान के उत्तर दिशा की ओर भूमि को 25 फीट गुणा 40 फीट होना कथन कर खांचा भूमि का नाम देते हुए अपना कब्जा में होना बताया। इस दीवानी वाद की चरण संख्या 5 में यह कथन किया कि गुरचरण सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह अपने साथ करीब पन्द्रह दिन पहले कुछ मजदूर लेकर आया एवं 25 फीट गुणा 40 फीट भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया एवं यह कथन किया कि उसने 35 फीट गुणा 40 फीट का पट्टा जारी करवा रखा है जिसकी आड में कब्जा करूंगा। निगरानीकर्ता के द्वारा वाद पत्र में यह भी अकित किया कि उसने गांव के मौजिज व्यक्तियों की पंचायत बुलाई लेकिन गुरचरण सिंह दिनांक 06.12.2021 को इन्कार कर गया जिस पर दावा पेश करने का वाद कारण हासिल हुआ। उक्त दीवानी वाद एवं मौजूदा निगरानी के तथ्यों को बराबर रखकर पढ़ा जावे तो स्पष्ट होगा कि निगरानीकर्ता के द्वारा दोनो कार्यवाहियों में परस्पर विरोधाभासी तथ्य अंकित किये है एवं मौजूदा निगरानी से पूर्व ही वादग्रस्त स्थान के संदर्भ में दीवानी वाद प्रस्तुत कर यह अनुतोष अधियाचित किया जा चुका है कि उसके कब्जा में किसी भी प्रकार से गुरचरण सिंह बाधा उत्पन्न ना करे। कृप्या दीवानी वाद पत्र के अभिवचनों का अवलोकन फरमायें।

6. यहकि दीवानी वाद के अनुसंलग्न अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन पत्र में सिविल न्यायालय के द्वारा कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी थी जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है एवं दोनो पक्षों की ओर से उक्त रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है जिससे समस्त वस्तुःस्थिती स्पष्ट होती है इसलिये निगरानी नाकाबिल चलने के है।

7. यहकि निगरानीकर्ता के द्वारा किसी भी रिकॉर्ड से इस बिन्दु को प्रमाणित नहीं किया है कि उसके भूखण्ड संख्या डी–18 के उत्तर में 25 फीट स्थान है 35 फीट स्थान नहीं है जबकि अनावेदक संख्या 1 के पक्ष में 35 फीट गुणा 50

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

फीट का पट्टा निर्विवाद रूप से 1987 में जारी है इसके अलावा ग्राम पंचायत का भी ऐसा कोई रिकॉर्ड निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके कथनों को बल मिलता हो इसलिये भी निगरानी निरस्त किये जाने योग्य हैं। इसके अलावा गैर निगरानीकर्ता एवं निगरानीकर्ता के पट्टा विलेख को भी समानान्तर रखकर जांच की जावे तो समस्त वस्तुःस्थिती स्पष्ट हो जायेगी कि अनावेदक संख्या 1 के पक्ष में पट्टा विलेख सही जारी किया गया है।

8. यहकि पंचायत एक्ट में चाहे निगरानी प्रस्तुत करने की मियाद अंकन ना हो लेकिन निगरानी जेर आदेश की जानकारी होने के उपरान्त मियाद अधिनियम के अनुसार 90 दिवस की अवधि में निगरानी प्रस्तुत करनी आवश्यक है हस्तगत प्रकरण में स्वीकृत रूप से निगरानीकर्ता के द्वारा दीवानी वाद में 06.12.2021 को वाद कारण इस आधार पर उत्पन्न होना अंकन किया कि गैर निगरानीकर्ता, जो कि उक्त वाद में प्रतिवादी है, ने अपने पक्ष में पट्टा 35 फीट गुणा 40 फीट का जारी होना एवं इसे निरस्त करवाने से इन्कार कर दिया, उक्त आधार पर वाद कारण प्राप्त होना जाहिर किया अर्थात 06.12.2021 को पट्टा विलेख की जानकारी हो गयी लेकिन अर्सा 90 दिन तक कोई कार्यवाही ना कर वरन् मियाद बाहर उक्त निगरानी प्रस्तुत की गयी है जो प्रथम तो गुणावगुण पर संधारण योग्य नहीं है एवं द्वितीय मियाद के बिन्दु पर भी निरस्त किये जाने योग्य हैं।

9. यहकि महज स्थान के लालच में बिना किसी कानूनी बिन्दु के एवं स्वीकृत रूप से गैर निगरानीकर्ता के पक्ष में पट्टा जारी होना स्वीकार करते हुए वेग तथ्यों पर निगरानी प्रस्तुत की गयी है निगरानी से पूर्व ही दीवानी वाद विचाराधीन है एवं हस्तगत निगरानी में पट्टा को निरस्त कर दिया जाये ऐसा कोई कानूनी बिन्दु निहित ना होने के कारण निगरानी सव्यय निरस्त किय जाने योग्य है अतः निरस्त की जावे।

लिहाजा अनावेदक संख्या 1 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानीकर्ता की निगरानी गुणावगुण पर एवं कानूनी बिन्दुओं पर बलहीन होने के कारण निरस्त फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि :–

निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.07.2023 के साथ सलंग्न कमीश्नर रिपोर्ट जो कि **वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश , सादुलशहर के दीवानी प्रकरण संख्या 29/2021 अनवानी सरजीत सिंह बनाम गुरचरण सिंह कमीश्नर त्रिलोकचन्द चायल, एडवोकेट द्वारा दिनांक 05.01.2022 प्रस्तुत की गई है, जो कि उक्त विवादित पट्टा में अंकित भूमि के विवाद के सम्बन्ध में ही है जिसमें नजरी नक्शा के साथ हालात मौका रिपोर्ट पेश की जो दोनो पक्षों की उपस्थित में तैयार की होना बताया है जिसमें मार्क D से E, E से F, F से C, 72 फीट**

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

है। वादी द्वारा प्रस्तुत पट्टा अहाता संख्या डी–18 में अहाता की माप 75X40 फीट है। मौका पर अहाता की माप तीन फीट कम है, जो वादी ने विवादित अहाता की तरफ छोड़ा हुआ बताया। अहाता संख्या डी/18 के दक्षिण में मलकीत सिंह पुत्र भान सिंह का मकान है, जो उसके द्वारा गुरचरण सिंह नामक व्यक्ति से खरीदशुदा बताया गया। अहाता संख्या डी/18 के पूर्वी दिशा में वादी सरजीत सिंह पुत्र मंग सिंह का रिहायशी मकान है जिसमें मार्क B F G, H से इंगित किया गया है और उक्त अहाता की माप 100X99 फीट है। उक्त रिहायशी अहाता का पट्टा वादी ने पेश किया जिसके अनुसार यह अहाता संख्या ए/30 है। प्रतिवादी ने एक पट्टा पेश किया जिसको उसने विवादित अहाता का होना बताया जिसका संख्यांक पट्टा में दर्ज नहीं है और अहाता के नक्शा के बीच गोछा लिखा गया है। उक्त कमीश्नर रिपोर्ट से प्रमाणित होता है कि निगरानीधीन पट्टा मकान नम्बर डी–18 जो बिना पट्टा नम्बर के गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 मिठूसिंह पुत्र गुरबक्श सिंह के नाम से दिनांक 23.08.1987 को जारी होना बताया गया है, बिना जांच व नाप के जारी किया गया है।

निगरानीधीन पट्टा मकान नम्बर डी–18 साईज 35X50 जारी होना बताया गया है का मूल अभिलेख से मिलान किया गया। मुताबिक भूमि विक्रय विलेख उक्त पट्टा की निलामी में दिनांक 23.04.1988 को मिठू सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह को 100/– रूपये में की गई है। निलामी के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा संधारित कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया। मूल कार्यवाही रजिस्टर्ड पेज 1 से 62 सन् 7.10.85 से 7.12.1986 पेज– 1 से 62 का अवलोकन किया गया। उक्त निगरानीधीन पट्टा मिठू सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह निवासी रोहनेवाला जो दिनांक 23.08.1987 को जारी होना बताया है, की निलामी 07.04.1988 मिठू सिंह के नाम से 100/–रूपये में होना बताया है जिसका संकल्प संख्या 4 दिनांक 07.04.1988 व आज्ञा संख्या 2 दिनांक 23.04.1988 द्वारा पुष्टि कर दी होना बताया गया है जबकि मूल कार्यवाही रजिस्ट्रर के पेज संख्या 55 पर दिनांक 23.08.1987 को मिटिंग होना अंकित है जिसमें आज्ञा संख्या –2 मिठू सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह अंकित है जिसके हस्ताक्षर कार्यवाही रजिस्टर में नहीं है एवं मिठू सिंह के नाम पर कटिंग की गई है, इसलिए प्रथम दृष्टया सन्देहस्पद प्रतीत होता है। दिनांक 23.08.1987 को उक्त मिठू सिंह द्वारा जिसमें प्रस्ताव संख्या 1,23 व आ0सं0 4 सरपंच महेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत खाटसजवार की अध्यक्षता में हुई है। जिसके उपरान्त पेज संख्या 40 कटिंग की जाकर रिक्त छोडा गया है। पेज– 41 पर दिनांक 23.08.1987 को सरपंच महेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत खाटसजवार की अध्यक्षता में मिटिंग हुई है। उक्त मिटिंग दिनांक 23.08.1987 को कार्यवाही का अंकन निम्नानुसार है (आ.संख्या–2 आज मिटिंग में आबादी भूमि विक्रय हेतू आवेंदन पत्र प्रस्तुत हुए जो निम्नानुसार है 1. मिठू सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह, 2. ताराचन्द पुत्र मामराज खाटसजवार, 3. मलकीत सिंह पुत्र उजागर सिंह, 4. गुरदेव सिंह पुत्र गजन सिंह, 5. प्रेमकुमार पुत्र रामलाल , मगर सिंह पुत्र बूटा सिंह) उक्त मिटिंग में आवेदन पत्र ही प्राप्त किये गये थे जबकि महेन्द्र सिंह

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 23.08.1987 को ही पट्टा जारी होना बताया गया है, जो पूर्णतया: ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1997 के तहत बने नियमों के विपरीत है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन पट्टा दिनांक 23.08.1987 निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 04.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner